न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-105/2022

राज्य

बनाम्

फुनेश्वर यादव वगैरह

–: आदेश :–

21/05/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 2227/अप०शा० दिनांक 11.10.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–161/2022 दिनांक–20.08.2022 से संबंधित है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि यह काण्ड वादी पुलिस अवर निरीक्षक, प्रेम कुमार निषाद वर्तमान में बालूमाथ थाना अन्तर्गत अमरवाडीह पिकेट प्रभारी के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–161/2022 दिनांक–20.08.2022 दर्ज किया गया। पुलिस अवर निरीक्षक, प्रेम कुमार निषाद वर्तमान में बालूमाथ थाना अन्तर्गत अमरवाडीह पिकेट प्रभारी दिनांक 20.08.2022 को रात्रि समय करीब 01:30 बजे थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुआ कि मगध कोल परियोजना के टंडवा थाना अन्तर्गत कुन्डी कोलयरी से चोरी का अवैध कोयला लदा हुआ कई ट्रक बालूमाथ होकर अन्य शहरों में बिक्री के लिए जाने वाला है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सशस्त्र बल के साथ अमरवाडीह पीकेट से प्रस्थान किया एवं अमरवाडीह पीकेट के सामने मगध कालियरी से बालूमाथ जाने वाली सड़क पर कोयला लदे वाहनों का चेकिंग किया जाने लगा। वाहन चेकिंग के क्रम में एक सथ तीन ट्रक कोलियरी से बालूमाथ कि ओर आते दिखाई दिये। सशस्त्र बल के सहयोग से टॉर्च कि रोशनी से रोकने का इशारा करने पर तीनों ट्रक चालक गाड़ी के लाईट में पुलिस को देखकर कुछ दूर पहले ही ट्रक को खड़ा कर भागने लगे तत्पश्चात सशस्त्र बल के सहयोग से भाग रहे तीनों ट्रक चालकों को दौड़ा कर पकड़ गया है। पकड़ाये चालकों से बारी–बारी से नाम–पता पुछा गया। तत्पश्चात् उक्त तीनों चालकों से ट्रक में लदे कारीब–25–25 टन कोयला के संबंध में कागजात की मांग करने पर चालक आना कानी करने लगे और कोयला से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं दिखाये और उनलोगों के द्वारा बताया गया कि तीनों ट्रक में

लोड कोयला चोरी का है। तीनों ट्रक चालकों से सख्ती से बारी–बारी से पुछ–ताछ करने पर 1. ट्रक रजि0 नं0–JH19C-4337 के चालक मजीद खान के द्वारा बताया गया कि इस ट्रक के मालिक बूटन यादव सा0–लातेहार, बाईपास रोड, 2. ट्रक रजि0 नं0–JH19C-5360 का चालक अमरेश कुमार यादव के द्वारा बताया गया कि ट्रक के मालिक सूरज जयसवाल गढ़वा वर्तमान में बालूमाथ रहता है एवं 3. ट्रक रजि0 नं0–JH19A-5559 का चालक सुरेन्द्र यादव द्वारा बताया गया गया कि ट्रक के मालिक गौतम यादव सा0–बोड़ा, थाना–लातेहार हैं। चालकों द्वारा यह भी बताया गया कि लोडर से कोयला को तीनों ट्रकों पर बारी–बारी से 13 नं0 स्टाक से लोड किया गया। विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया तथा अमरवाडीह पिकेट में तीनों जप्त ट्रकों को सुरक्षार्थ रखा गया। चोरी कर कोयले का अवैध भण्डारण परिवहन कर व्यापार करना एवं खरीद–बिक्री करना एक संज्ञेय अपराध है। अनुसंधान के क्रम में 1. ट्रक रजि0 नं0–JH19C-4337 चेसीस नं0–MAT466388F1C06640 के मालिक का नाम फुनेश्वर यादव पिता–मदन यादव सा0–सबानों, उदयपुरा, लातेहार है। 2. ट्रक रजि0 नं0–JH19C-5360 चेसीस नं0–MAT466457J5J22801 के मालिक का नाम सुरज कुमार जयसवाल, पिता–रामशंकर जैस, सा0–बालूमाथ, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार है एवं 3. ट्रक रजि0 नं0–JH19A-5559 चेसीस नं0–MAT466388D3J18590 के मालिक का नाम गौतम कुमार यादव, पिता–रामनरेश यादव, सा0–बोरा, सबानों, उदयपुरा, लातेहार है। जप्त उक्त तीनों ट्रकों के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी गौतम कुमार यादव, पिता–रामनरेश यादव, ग्राम–सबानों थाना+जिला–लातेहार के अधिवक्ता का कथन है कि माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में Misc. Criminal Application No. 1339/2022 विपक्षी गौतम कुमार यादव के द्वारा बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–161/2022 में जप्त वाहन संख्या–JH19A-5559 को मुक्त करने हेतु आवेदन दिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी के आवेदन पर उचित जांच पड़ताल एवं बालूमाथ थाना जांच प्रतिवेदन के आधार पर काण्ड में जप्त वाहन को दिनांक 29.10.2022 को मुक्त कर दिया है। माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के आदेशानुसार उचित बॉण्ड दाखिल करने के पश्चात् वाहन संख्या–JH19A-5559 को मुक्त किया गया है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा मुक्त वाहन पर पुनः राजसात की कार्रवाई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त वाद का ट्रायल माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में चल रहा है, तथा न्यायालय का जो भी आदेश होगा विपक्षी अक्षरशः पालन करने को तैयार है।

विपक्षी सुरज कुमार जयसवाल, पिता–रामाशंकर जैस, ग्राम+थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जप्त ट्रक संख्या–JH19C-5360 पर राजसात की कार्रवाई आरम्भ की गई है, जिसे मेरे द्वारा दिनांक 15.10.2019 को रामजीत कुमार यादव, पिता–साधुचरण यादव,

ग्राम–सेरनदाग, थाना–हेरहंज, जिला–लातेहार के साथ एक एकरारनामा करके बिक्री कर दिया गया है। वाहन बिक्री के पश्चात् अब विपक्षी ट्रक संख्या–JH19C-5360 के स्वामी नहीं हैं। उक्त वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार का कानूनी रूप से जिम्मेवारी रामजीत यादव का है। अतः विपक्षी को न्यायहीत मे मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाय।

विपक्षी फुनेश्वर यादव पिता–मदन यादव ग्राम–सबानो, उदयपुरा, थाना+जिला–लातेहार के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सहायक अवर निरीक्षक, प्रेम कुमार निषाद के आवेदन पर मामला दर्ज कर ट्रक रजि0 नं0–JH19C-4337 को जप्त कर राजसात की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। विपक्षी ट्रक रजि0 नं0–JH19C-4337 का पंजीकृत मालिक है, जो घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे। चालक के नियंत्रण में वाहन था, जिसे पुलिस ने कथित कोयले के साथ गिरफ्तार किया था। जिसपर चोरी की सम्पति होने का संदेह है। वर्तमान मामला भा0द0वि0 की धारा–379/411, एम0एम0डी0आर0 अधिनियम की धारा–21, अवैध रोकथाम (खनन, परिवहन, भण्डारण) नियम–2017 की धारा–13, धारा–30(ii) तहत् दर्ज किया गया है। न्यायालय कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम या झारखण्ड खान एवं खनिज रियायत नियम 2017 के तहत् राजसात की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु सक्षम पदाधिकारी नहीं है। यह नियम कार्यकारी आदेश है या अधिसूचना जो अधिनियम के प्रावधानों को कम नहीं कर सकता है। अतः राजसात की कार्यवाही को समाप्त किया जाय।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि काण्ड में जप्त हाईवा 1. ट्रक रजि0 नं0–JH19C-4337 2. ट्रक रजि0 नं0–JH19C-5360 एवं 3. ट्रक रजि0 नं0–JH19A-5559 के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन किया गया है और ट्रक रजि0 नं0–JH19A-5559 को माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया है। अतः ट्रक रजि0 नं0–JH19C-4337 एवं ट्रक रजि0 नं0–JH19C-5360 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय द्वारा मुक्त किये गये ट्रक रजि0

नं0–JH19A-5559 के अनुसंधान पदाधिकारी से पुलिस अधीक्षक, लातेहार स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभागीय कार्यवाही करेंगे और कृत कार्रवाई से न्यायालय को अवगत करायेंगे। लोक अभियोजक, लातेहार मुक्त किये गये वाहन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील वाद दायर करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

04/05/23

उपायुक्त,
लातेहार।

04/05/23

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.05.29 14:12:28 +05:30
Location: 10.93.47.5